न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्या: 61/2020 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2020/00065**

नूर मोहम्मद पुत्र श्री सिकन्दर खां जाति मुसलमान निवासी 9 एस डी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

– **अपीलान्ट**

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, सूरतगढ़।

– **रेस्पोन्डेंट**

उपस्थित: श्री बहादूरराम सुथार – अभिभाषक अपीलांट
श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 02.04.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 16.07.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– तहसील सूरतगढ़ के चक डब्लयू डी के पत्थर नम्बर 234/4 के 0.568 हैक्टयर व पत्थर नम्बर 214/60 के 0.885 हैक्टयर कुल तादादी 1.453 हैक्टयर रकबे के संबंध में तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 18.10.2017 द्वारा अपीलांट को नाजायज काश्तकार अतिक्रमी मानकर फसल कुर्क करने व कुर्कशुदा फसल नीलाम करने तथा पैनल्टी राशि वसूल करने व जैर अपील भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया गया। अपीलांट ने उक्त आदेश के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने आदेश दिनांक 16.07.2018 में यह कहते हुए अपील अस्वीकार कर दी कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई अनियमितता या अवैधानिकता प्रतीत नहीं होती है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में प्रस्तुत की। राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर ने उक्त अपील दिनांक 20.11.2019 को राजस्थान सरकार राजस्व विभाग, ग्रुप–6 की अधिसूचना क्रमांक 1(17)/Rev–6/ 2019/112 दिनांक 17.10.2019 के तहत इस न्यायालय में हस्तांतरित कर दी। इस न्यायालय द्वारा पत्रावली दायरा दर्ज कर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया।

संभागीय आयुक्त बीकानेर

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया और बिना सुनवाई के फैसला पारित कर दिया। राज्य सरकार की मन्शा है कि जो

व्यक्ति आवंटन का पात्र है व जिसका कब्जा वर्ष 2005 से पूर्व का है उस काश्तकार को रकबा नियमन कर दिया जावे व किश्तें भरवा ली जावें प्रार्थी पिछले 15—20 वर्षा से काबिज है व किश्त भरने को तैयार है तथा नियमन की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष जैरकार है। अतः तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 18.10.2017 एवं अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 16.07.2018 को निरस्त फरमावें।

3— राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि तहसील सूरतगढ़ के चक डब्लयू डी के पत्थर नम्बर 234/4 के 0.568 हैक्टयर व पत्थर नम्बर 214/60 के 0.885 हैक्टयर कुल तादादी 1.453 हैक्टयर रकबे के संबंध अपीलांट अतिक्रमी है। जिस पर तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 18.10.2017 द्वारा अपीलांट को नाजायज काश्तकार अतिक्रमी मानकर फसल कुर्क करने व कुर्कशुदा फसल निलाम करने तथा पैनेल्टी राशि वसूल करने व जैर अपील भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया। जो नियमानुसार सही है। तहसीलदार ने किसी भी प्रकार का अनियमित एवं अवैधानिक कार्य नहीं किया। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 18.10.2017 को सही मानते हुए अपीलांट को अतिक्रमी माना है और अपीलांट भी ऐसे दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा, जिससे यह साबित हो सके की अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में सुना ना गया हों। अतः अधीनस्थ न्यायालयों तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.10.2017 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2018 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 02.04.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/4/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर